

भारत के राजपत्र : असाधारण [भाग II – खंड 3(i)]

**सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय**  
**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 11 मई, 2006

सा.से.नि. 282(ई) – केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 (1995 का 7) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में और संशोधन करने के बावत निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. (1) ये नियम केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2006 कहे जाएंगे।  
(2) ये नियम राजकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में नियम 6, उप-नियम (5) में निम्नलिखित समाविष्ट किया जाएगा, नामत :-

"(6) कोई भी केबल ऑपरेटर अपनी केबल सेवा में ऐसा कोई टेलीविजन प्रसारण अथवा चैनल शामिल नहीं करेगा जो भारत में दिखाए जाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा पंजीकृत न किया गया हो" :

बशर्ते, कि कोई केबल ऑपरेटर ऐसा कोई टेलीविजन प्रसारण अथवा चैनल अपनी केबल सेवा में शामिल कर सकता है जिन्होंने इस अधिसूचना को लागू करने की तिथि से अथवा इससे पूर्व छः माह की अवधि के लिए अथवा इस प्रकार के पंजीकरण की मंजूरी अथवा नामंजूर, जो भी पहले हो, किए जाने तक के लिए कोई आवेदन किया हो :

बशर्ते, 2 दिसम्बर, 2005 से पूर्व अपलिंकिंग हेतु अनुमति के अनुरूप भारत से अपलिंक करने वाले चैनलों को "पंजीकृत" टेलीविजन चैनल समझा जाएगा और इन्हें केबल सेवा के तहत शामिल किया जा सकता है।

[फा.सं.2302/1/2004-बीसी-III]

**पी.के. त्रिपाठी**

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

**पाद टिप्पणी :-** प्रमुख नियम दिनांक 29 सितम्बर, 1994 के सा.से.नि. 729(ई) के जरिए प्रकाशित किए गए और दिनांक 8 अक्टूबर, 1996 के सा.से.नि. 459(ई) और दिनांक 8 सितम्बर, 2000 के सा.से.नि. 710(ई) के जरिए इनमें संशोधन किया गया।

## सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2006

सा.से.नि. 697(ई) – केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 (1995 का 7) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में और संशोधन करने के बावत निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. (1) ये नियम केबल टेलीविजन नेटवर्क (5वां संशोधन) नियम, 2006 कहे जाएंगे।  
(2) ये नियम राजकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में नियम 6, उप-नियम (6) में प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :-

"बशर्ते, कि कोई केबल ऑपरेटर ऐसा कोई टेलीविजन प्रसारण अथवा चैनल अपनी केबल सेवा में शामिल कर सकता है जिसने पंजीकरण हेतु अपना आवेदन केन्द्र सरकार को इस अधिसूचना की तिथि से तीन माह की अवधि के लिए अथवा इसे मंजूर किए जाने अथवा

नामंजूर किए जाने, जो भी पहले हो, तक के लिए 11 मई, 2006 को अथवा इससे पूर्व किया हो और यह विचाराधीन है।"

[फा.सं.1601/71/2006-टीवी(1)]

एन. बैजेन्द्र कुमार  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

**पाद टिप्पणी :-** प्रमुख नियम दिनांक 29 सितम्बर, 1994 के सा.से.नि. 729(ई) के जरिए प्रकाशित किए गए और दिनांक 8 अक्टूबर, 1996 के सा.से.नि. 459(ई), दिनांक 8 सितम्बर, 2000 के सा.से.नि. 710(ई), 11 मई, 2006 के सा.से.नि. 282(ई), 31 जुलाई, 2006 के सा.से.नि. 452(ई), 2 अगस्त, 2006 के सा.से.नि. 459(ई) और 9 अगस्त, 2006 के सा.से.नि. 469(ई) के जरिए संशोधन किया गया।

## सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2007

सा.से.नि. 286(ई) - केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 (1995 का 7) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में और संशोधन करने के बावत निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. (1) ये नियम केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2007 कहे जाएंगे।  
(2) ये नियम राजकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में नियम 6, उप-नियम (6) में प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :-

"बशर्ते, कि कोई केबल ऑपरेटर ऐसा कोई टेलीविजन प्रसारण अथवा चैनल अपनी केबल सेवा में शामिल कर सकता है जिसने पंजीकरण हेतु अपना आवेदन केन्द्र सरकार को दिनांक 11 फरवरी, 2007 से तीन माह की अवधि के लिए अथवा इसे मंजूर किए जाने

अथवा नामंजूर किए जाने, जो भी पहले हो, तक के लिए 11 मई, 2006 को अथवा इससे पूर्व किया हो और यह विचाराधीन है।"

[फा.सं.1601/71/2006-टीवी(1)]

एन. बैजेन्द्र कुमार  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

**पाद टिप्पणी :-** प्रमुख नियम दिनांक 29 सितम्बर, 1994 के सा.से.नि. 729(ई) के जरिए प्रकाशित किए गए और दिनांक 8 अक्टूबर, 1996 के सा.से.नि. 459(ई), दिनांक 8 सितम्बर, 2000 के सा.से.नि. 710(ई), 11 मई, 2006 के सा.से.नि. 282(ई), 31 जुलाई, 2006 के सा.से.नि. 452(ई), 2 अगस्त, 2006 के सा.से.नि. 459(ई), 9 अगस्त, 2006 के सा.से.नि. 469(ई) और 11 नवम्बर, 2006 के सा.से.नि. 697(ई) के जरिए संशोधन किया गया।

## सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2007

सा.से.नि. 482(ई) - केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 (1995 का 7) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में और संशोधन करने के बावत निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. (1) ये नियम केबल टेलीविजन नेटवर्क (द्वितीय संशोधन) नियम, 2007 कहे जाएंगे।  
(2) ये नियम राजकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में नियम 6, उप-नियम (6) में प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :-

"बशर्ते, कि कोई केबल ऑपरेटर ऐसा कोई टेलीविजन प्रसारण अथवा चैनल अपनी केबल सेवा में शामिल कर सकता है जिसने पंजीकरण हेतु अपना आवेदन केन्द्र सरकार को दिनांक 10 अगस्त, 2007 तक की अवधि के लिए अथवा इसे मंजूर किए जाने अथवा

नामंजूर किए जाने, जो भी पहले हो, तक के लिए 11 मई, 2006 को अथवा इससे पूर्व किया हो और यह विचाराधीन है।"

[फा.सं.1601/71/2006-टीवी(1)]

**जोहरा चटर्जी**  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

**पाद टिप्पणी :-** प्रमुख नियम दिनांक 29 सितम्बर, 1994 के सा.से.नि. 729(ई) के जरिए प्रकाशित किए गए और दिनांक 8 अक्टूबर, 1996 के सा.से.नि. 459(ई), दिनांक 8 सितम्बर, 2000 के सा.से.नि. 710(ई), 11 मई, 2006 के सा.से.नि. 282(ई), 31 जुलाई, 2006 के सा.से.नि. 452(ई), 2 अगस्त, 2006 के सा.से.नि. 459(ई), 9 अगस्त, 2006 के सा.से.नि. 469(ई), 11 नवम्बर, 2006 के सा.से.नि. 697(ई) और 11 अप्रैल, 2007 के सा.से.नि. 286(ई) के जरिए संशोधन किया गया।



## सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2007

सा.से.नि. 774(ई) – केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 (1995 का 7) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में और संशोधन करने के बावत निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. (1) ये नियम केबल टेलीविजन नेटवर्क (तृतीय संशोधन) नियम, 2007 कहे जाएंगे।  
(2) ये नियम राजकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में नियम 6, उप-नियम (6) में प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :-

"बशर्ते, कि कोई केबल ऑपरेटर ऐसा कोई टेलीविजन प्रसारण अथवा चैनल अपनी केबल सेवा में शामिल कर सकता है जिसने पंजीकरण हेतु अपना आवेदन केन्द्र सरकार को दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 तक की अवधि के लिए अथवा इसे मंजूर किए जाने अथवा

नामंजूर किए जाने, जो भी पहले हो, तक के लिए 11 मई, 2006 को अथवा इससे पूर्व किया हो और यह विचाराधीन है।"

[फा.सं.1601/71/2006-टीवी(1)]

**जोहरा चटर्जी**

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

**पाद टिप्पणी :-** प्रमुख नियम दिनांक 29 सितम्बर, 1994 के सा.से.नि. 729(ई) के जरिए प्रकाशित किए गए और दिनांक 8 अक्टूबर, 1996 के सा.से.नि. 459(ई), दिनांक 8 सितम्बर, 2000 के सा.से.नि. 710(ई), 11 मई, 2006 के सा.से.नि. 282(ई), 31 जुलाई, 2006 के सा.से.नि. 452(ई), 2 अगस्त, 2006 के सा.से.नि. 459(ई), 9 अगस्त, 2006 के सा.से.नि. 469(ई), 11 नवम्बर, 2006 के सा.से.नि. 697(ई), 11 अप्रैल, 2007 के सा.से.नि. 286(ई) और 12 जुलाई, 2007 के सा.से.नि. 482(ई) के जरिए संशोधन किया गया।

## सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2008

सा.से.नि. 25(ई) – केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 (1995 का 7) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में और संशोधन करने के बावत निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. (1) ये नियम केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 2008 कहे जाएंगे।  
(2) ये नियम राजकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में नियम 6, उप-नियम (6) में प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :-

"बशर्ते, कि कोई केबल ऑपरेटर ऐसा कोई टेलीविजन प्रसारण अथवा चैनल अपनी केबल सेवा में शामिल कर सकता है जिसने पंजीकरण हेतु अपना आवेदन केन्द्र सरकार को दिनांक 31 जनवरी, 2008 तक की अवधि के लिए अथवा इसे मंजूर किए जाने अथवा नामंजूर किए जाने, जो भी पहले हो, तक के लिए 11 मई, 2006 को अथवा इससे पूर्व किया हो और यह विचाराधीन है।"

[फा.सं.1601/71/2006-टीवी(1)]

**जोहरा चटर्जी**

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

**पाद टिप्पणी :-** प्रमुख नियम दिनांक 29 सितम्बर, 1994 के सा.से.नि. 729(ई) के जरिए प्रकाशित किए गए और दिनांक 8 अक्टूबर, 1996 के सा.से.नि. 459(ई), दिनांक 8 सितम्बर, 2000 के सा.से.नि. 710(ई), 11 मई, 2006 के सा.से.नि. 282(ई), 31 जुलाई, 2006 के सा.से.नि. 452(ई), 2 अगस्त, 2006 के सा.से.नि. 459(ई), 9 अगस्त, 2006 के सा.से.नि. 469(ई), 11 नवम्बर, 2006 के सा.से.नि. 697(ई), 11 अप्रैल, 2007 के सा.से.नि. 286(ई), 12 जुलाई, 2007 के सा.से.नि. 482(ई) और 3 दिसम्बर, 2007 के सा.से.नि. 774(ई) के जरिए संशोधन किया गया।

## सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2008

सा.से.नि. 413(ई) – केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 (1995 का 7) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में और संशोधन करने के बावत निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. (1) ये नियम केबल टेलीविजन नेटवर्क (द्वितीय संशोधन) नियम, 2008 कहे जाएंगे।  
(2) ये नियम राजकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में नियम 6, उप-नियम (6) में प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :-

"बशर्ते, कि कोई केबल ऑपरेटर ऐसा कोई टेलीविजन प्रसारण अथवा चैनल अपनी केबल सेवा में शामिल कर सकता है जिसने पंजीकरण हेतु अपना आवेदन केन्द्र सरकार को दिनांक 31 मई, 2008 तक की अवधि के लिए अथवा इसे मंजूर किए जाने अथवा

नामंजूर किए जाने, जो भी पहले हो, तक के लिए 11 मई, 2006 को अथवा इससे पूर्व किया हो और यह विचाराधीन है।"

[फा.सं.1601/71/2006-टीवी(1)]

**स्तुति कासकेर**  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

**पाद टिप्पणी :-** प्रमुख नियम दिनांक 29 सितम्बर, 1994 के सा.से.नि. 729(ई) के जरिए प्रकाशित किए गए और दिनांक 8 अक्टूबर, 1996 के सा.से.नि. 459(ई), दिनांक 8 सितम्बर, 2000 के सा.से.नि. 710(ई), 11 मई, 2006 के सा.से.नि. 282(ई), 31 जुलाई, 2006 के सा.से.नि. 452(ई), 2 अगस्त, 2006 के सा.से.नि. 459(ई), 9 अगस्त, 2006 के सा.से.नि. 469(ई), 11 नवम्बर, 2006 के सा.से.नि. 697(ई), 11 अप्रैल, 2007 के सा.से.नि. 286(ई), 12 जुलाई, 2007 के सा.से.नि. 482(ई), 3 दिसम्बर, 2007 के सा.से.नि. 774(ई) और 10 जनवरी, 2008 के सा.से.नि. 25(ई) के जरिए संशोधन किया गया।

## सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2009

सा.से.नि. 411(ई) – केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 (1995 का 7) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में और संशोधन करने के बावत निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. (1) ये नियम केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2008 कहे जाएंगे।  
(2) ये नियम राजकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में नियम 6, उप-नियम (6) में प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :-

"बशर्ते, कि कोई केबल ऑपरेटर ऐसा कोई टेलीविजन प्रसारण अथवा चैनल अपनी केबल सेवा में शामिल कर सकता है जिसने पंजीकरण हेतु अपना आवेदन केन्द्र सरकार को दिनांक 15 जून, 2009 तक की अवधि के लिए अथवा इसे मंजूर किए जाने अथवा

नामंजूर किए जाने, जो भी पहले हो, तक के लिए 11 मई, 2006 को अथवा इससे पूर्व किया हो और यह विचाराधीन है।"

[फा.सं.1601/71/2006-टीवी(1)]

**जोहरा चटर्जी**

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

**पाद टिप्पणी :-** प्रमुख नियम दिनांक 29 सितम्बर, 1994 के सा.से.नि. 729(ई) के जरिए प्रकाशित किए गए और दिनांक 8 अक्टूबर, 1996 के सा.से.नि. 459(ई), दिनांक 8 सितम्बर, 2000 के सा.से.नि. 710(ई), 11 मई, 2006 के सा.से.नि. 282(ई), 31 जुलाई, 2006 के सा.से.नि. 452(ई), 2 अगस्त, 2006 के सा.से.नि. 459(ई), 9 अगस्त, 2006 के सा.से.नि. 469(ई), 11 नवम्बर, 2006 के सा.से.नि. 697(ई), 11 अप्रैल, 2007 के सा.से.नि. 286(ई), 12 जुलाई, 2007 के सा.से.नि. 482(ई), 3 दिसम्बर, 2007 के सा.से.नि. 774(ई), 10 जनवरी, 2008 के सा.से.नि. 25(ई) और 29 मई, 2008 के सा.से.नि. 413(ई) के जरिए संशोधन किया गया।